

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to श्रीमति बिबियाना डुंगडुंग

S/O, W/O, D/O स्व० आलेकसियुस डुंगडुंग

Village: गोतरा ठाकुरटोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri/Smt. रोवन्ती कुल्लू

S/O, W/O, D/O श्री अंजोर कुल्लू

Village: सिमडेगा खरवारटोली

P.S: सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 22/01/2021.....

in Rev, C.N.T. case No 248/2019-20

U/S 46 C.N.T. Act,

<u>Village</u>	<u>Thana</u>	<u>Thana No</u>	<u>Khata No.</u>	<u>Plot No.</u>	<u>Area(in acies)</u>	<u>Value for Sale</u>
गोतरा ठाकुरटोली	सिमडेगा	80	50	5109	0.22 ए० मे से 0.08 ए० (चार लाख अस्सी हजार रु० मात्र)	4,80,000.00

भूमि की चौहदी:

उत्तर – इसी प्लॉट का अंश मनोज बर्मा का हिस्सा

दक्षिण – इसी प्लॉट का अंश अनथ्रेस कुल्लू का मकान

पूरब – इसी प्लॉट का अंश नीज विक्रेता

पश्चिम – इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता

Sd.....

L.R.D.C. Simdega

Memo No. 45.C.W./S/O...../Rev. Dated (Simdega the 22/01/2021.....)

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri/Smt. बिबियाना डुंगडुंग

S/O, W/O, D/O स्व० आलेकसियुस डुंगडुंग Village: गोतरा ठाकुरटोली

P.S: सिमडेगा

Dist: सिमडेगा

For Information and needful



22/01/21
L.R.D.C. Simdega
मि सुभार सिमडेगा

न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सिमडेगा
अनुमति वाद सं० 248/2019-20

श्रीमति बिबियाना डुंगडुंग.....आवेदक
वनाम
झारखण्ड सरकार.....विपक्षी

आदेश

आवेदिका श्रीमति बिबियाना डुंगडुंग पति स्व० आलेकसियुस डुंगडुंग ग्राम-गोतरा ठाकुरटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरण:-

मौजा	थाना	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
गोतरा	सिमडेगा	80	50	5109	0.22 ए० मे से
ठाकुरटोली					0.08 ए०

कुल रकबा (आठ) डिसमिल मात्र।

आवेदिका अपनी खरीदगी जमीन बिमारी के ईलाज हेतु प्रस्तावित क्रेतिका-श्रीमति रोवन्ती कुल्लू पति श्री अंजोर कुल्लू ग्राम सिमडेगा खरवाटोली, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा (जाति खडिया) को बिक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न हैं। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हैं।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 117 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं, जो अभिलेख में संलग्न हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है, न ही अंचल अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का विवाद का आपत्ति के संबध में प्रतिवेदन दिया गया हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खरीदगी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत मो० जतरु उराँव वो भव उराँव वो सोमरा उराँव वो मंगरा उराँव पे० डोमवा उराँव वै०, है। वर्तमान जमाबंदीदार खाता सं० 50 प्लॉट सं० 5109 रकबा 0.22 ए० मे से 0.08 ए० श्रीमति बिबियाना डुंगडुंग पिता स्व० आलेकसियुस डुंगडुंग के नाम दर्ज है। मालगुजारी आवेदक के द्वारा दिया जाता है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति खडिया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि बिक्री के पश्चात आवेदक के पास 0.14 एकड़ भूमि शेष बचता हैं।

भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात में केवाला पट्टा, दाखिल खारिज, शुद्धिपत्र एवं, लगान रसीद एवं आधार संख्या 895694402124 की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न हैं। क्रेतिका की ओर से जाति प्रमाण पत्र संख्या जे०एच०सी०एस०टी०/2020/130605 दिनांक 24.0.2020/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या-जे०एच०आर०सी०/2020/02248/दिनांक 24.09.2020 एवं आधार संख्या 498426636099 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न हैं।

आवेदिका ने अपने बयान में कहा है कि मौजा-गोतरा ठाकुरटोली थाना न०-80 थाना सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न०-50 प्लॉट संख्या 5109 रकबा 0.22 ए० मे से 0.08 ए० जमीन को बिमारी के ईलाज हेतु क्रेतिका- श्रीमति रोवन्ती कुल्लू पति श्री अंजोर कुल्लू ग्राम सिमडेगा खरवाटोली, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा मो० 4,80,000.00 रु० (चार लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र में अपने राजी- खुशी से बिक्री कर रही हैं। यह मेरी खरीदगी भूमि है। उक्त जमीन बिक्री करने के बाद मेरे पास 0.14 एकड़ जमीन शेष बचती है। बिक्रेता एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जनजाति खडिया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

१

२

३

४

अचल अधिकारी सिमडेगा के जॉच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा-
 गोतरा ठाकुरटोली, थाना न0-80 थाना- सिमडेगा के अन्तर्गत खाता संख्या- 50, प्लॉट संख्या
 5109 रकबा 0.22 एकड मे से 0.08 ए0 जमीन आवेदक श्रीमति विविद्याना डुंगडुंग पिता स्व0
 आलेकसियुस डुंगडुंग ग्राम-गोतरा ठाकुरटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा द्वारा क्रेतिका
 श्रीमति रोवन्ती कुल्लू पति श्री अंजोर कुल्लू ग्राम सिमडेगा खरवाटोली, थाना सिमडेगा, जिला
 सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा
 46 के तहत भूमि बिक्री करने की स्वाहति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।


भूमि सुधार  समीहर्ता
 सिमडेगा ।

भूमि सुधार  समीहर्ता
 सिमडेगा ।

पुनश्च: तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला
 निबधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार  समीहर्ता,
 सिमडेगा ।



दिलिप 

अनाडिफि


 प्रधान लिपेक

कार्यालय, अंचल अधिकारी

1000/5 L

12/11/2020

पत्रांक 117

दिनांक 2.9.20

सेव . . .

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमडेगा ।

विषय :- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन ।

प्रसंग : अनुमति वाद संख्या 248 सन् 19-20



1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

- क- आवेदक (हस्तान्तरणकर्ता) का नाम
पिता का नाम/पूरा पता
ख- जाति
- खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध
- जमीनदारी विलियन के पश्चात् उक्त जमीन की संख्या तथा जमाबंदी दार का नाम
- वर्तमान जमाबंदी संख्या/ जमाबंदी दार का नाम
- वर्तमान जमाबंदी को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ
- जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम :
- आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध
- उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार हैं तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा
- क्या आवेदक बड़े भू-धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरुद्ध लैण्ड सिलिंग का केश है
- क - क्या उक्त जमीन भूदान की है
ख- लैण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित है
- जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य
- जमीन का किस्म एवं ब्यौरा

विक्रियाना हुंजाडुंग पति स्व. डालेकमिगुम हुंजाडुंग
गोत्रा ठकुर योली धाता सह डिमा - मिमका
रपडिया
जतरु उराव वी मुप उराव वी सो सौरा उराव
वी मारा उराव पे. डोमवा उराव कोम उराव ।

जमाबंदी
344
II

ग्राम सं. 50 रकबा : 0.22 रु.
सिमा विक्रियाना हुंजाडुंग पति - डालेकमिगुम हुंजाडुंग
:- तदेव -
ः खरीदनी ये
छावेदिवा
:- स्वर्ण

अकेली हिस्सेदार

: x
: x
: x
: खीमारी का इलाज देवु ।

ग्राम/थाना सं० - खाता सं० - प्लॉट सं० - रकबा - किस्म
गोत्रा 80 - 50 - 5109 - 0.22 रु. म से
ठकुरयोली 0.08 रु.

जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो
जमीन का वर्तमान मूल्य
विक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि
बिक्री के बाद शेष भूमि

: 51,520 = 00/- प्रति डि. गोत्रा - विक्रेता खाता सं.
: 4,12,160 = 00/- 25
: 0.22 रु. रकबा 3.02 रु.
: 0.14 रु. मज्जा - गोत्रा खाता सं 50
3.02 रु.
0.22 रु.
कुल रकबा - 3.24 रु.
से - 0.88 रु.

3. आपडवित

Handwritten signature and date: 9.12.20

विक्रियाना हुंजाडुंग

आवेदक का हस्ताक्षर

2. क्रेता के सम्बन्ध में

1) क- क्रेता का नाम/पिता का नाम
घर का पूरा पता

ख- जाति

: रौवनी कुण्ड पाते श्री- उजौर कुण्ड
सिमडागा खरवा बोली भागा यह जिला- सिमडागा

: खडिया
: विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक भाग के निवासी हैं
: यह निर्माण है।

2) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी हैं ?
3) जमीन खरीदने का कारण/आवश्यकता
4) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड
सिलिंग का वाद चला है

5) उसके पास तथा उनके परिवार के सभी
सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है
6) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो
उसका ब्यौरा

7) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का
अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/
उद्देश्य औचित्य

8) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल
धारित जमीन की रकबा ब्यौरा

9) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा की
शैक्षणिक संस्था के पास कुल कितनी जमीन
है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य हेतु
आवश्यकता है

10) अभ्युक्ति
महाध्वज

Co. Secy - खरीदारी - शुद्ध है। हलमा -
आवेदन - शुद्ध खरीदारी - के आकार
मदरे के अन्य पानकेदन - के आकार
पर CNT Act के Sec 4E (a) के
अन्तर्गत - विधिवत - के के अन्तर्गत -
कार्रवाई - ली जा सकती है।

✓
✓



अंचल अधिकारी

विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक भाग के
निवासी हैं। एका ही ज.जा. की श्रेणी में
आते हैं, विक्रेता अपनी रणनीति बिक्री के
हेतु आवेदन कर ली है, विक्रेता के
पश्चात् शेष भूमि 0.142. केवली है।
अनुमति हेतु अनुमति भी जा सकती है।
सहायक को प्रतिकेदन समर्पित।

Shilpa R. S. I
H.N.T.V



150-5
P - 0500
F - 0000
AT - 08-10
13-00

विक्रयिका का
विक्रयिका का

प्रधान लिपिक